न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 73/2014

बउनवानः—

कर्मा उर्फ कर्मालाल पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. केशरा
2. मदना पुत्रान मांग्या जाति गुर्जर निवासीगण मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां
3. मोहनलाल उर्फ पप्पू } पुत्रान भंवरलाल गुर्जर निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल
4. धनराज
5. हंसराज
6. मूली बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि भवानीशंकर जाति गुर्जर निवासी मांगरोल
7. गीता बाई पुत्री भवंरलाल पत्नि सुरेश जाति गुर्जर निवासी साथेली जिला बून्दी
8. संतोष पुत्री भंवरलाल पत्नि रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी बजरंगगढ तह0 किशनगंज
9. घांसी बाई पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मांगरोल
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री मनोज कुमार आर्य

वकील अप्रार्थीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी, श्री रामरतन गुर्जर

दायरा दिनांकः 13.08.2014

निर्णय दिनांक : 06.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम मांगरोल में आराजी पुराना खसरा नं0 3958 व 3969 की आराजी 8 बीघा 10 बिस्वा, 3273 रकबा 5 बिस्वा, 3278 रकबा 12 बिस्वा कुल 9 बीघा 8 बिस्वा आराजियात सम्वत 2014–23 में प्रार्थी के पिता मांग्या पुत्र सांवला जाति गुर्जर निवासी मांगरोल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 वादीगण के भाई भंवरलाल जिसका देहान्त हो चुका है। जिसके बीच आपसी पारिवारिक समझौते द्वारा विभाजन करते हुए बांट–बराबर में अपने–अपने नाम हिस्सा दर्ज करवा दिया था। जिसका अमल दरामद राजस्व रेकार्ड मे हो चुका था तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा भी पर्चा लगान तैयार करते समय उक्त मद में वर्णित आराजियात में नवीन खसरा नं0 3273 का रकबा 0.04 है0, 3258 का रकबा 0.88 है0, 3259 का रकबा 0.43 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.35 है0 दर्ज करके प्रार्थी कम 1 अप्रार्थी कम 1 व 2 व उसके भाई भंवरया के हिस्सा बांट बराबर दर्ज कर दी थी। जब से ही प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

एवं प्रार्थी का भाई भंवरलाल बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्से को शांतीपूर्ण काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के भाई भंवरलाल का देहान्त हो चुका है। ओर 3 लगायत 9 भंवरलाल के पुत्र–पुत्रिया व बैवी है। जिनका नाम वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के भाई भंवरलाल के पिता मांग्या की पैतृक सम्पत्ति थी जो पूर्व में प्रार्थी के पिता मांग्या के नाम दर्ज थी मांग्या की मृत्यु के बाद मांग्या के चारो पुत्रो प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 व प्रार्थीगण के भाई भंवरलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में सेंटलमेंट विभाग द्वारा पर्चा लगान के तहत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/4–1/4 बांट बराबर दर्ज की गयी। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजियात प्रार्थी के पिता मांग्या की पैतृक सम्पत्ति थी जिसके सेटलमेंट विभाग के पर्चा लगान में भी बराबर–बराबर हिस्सा चारो भाईयो के दर्ज किया गया। लेकिन अभिनस्थ कर्मचारी तहसील द्वारा नवीन राजस्व रेकार्ड तैयार करते वक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थी के भाई स्व0 भंवरलाल अप्रार्थीगण नं0 3 लगायत 9 के पिता पति के नाम दर्ज कर दिया जबकि सभी भाईयों को मांग्या की संतानो के बराबर हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी के भाई स्व0 भंवरलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण नं0 3 लगायत 9 उक्त राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से जो गलत रूप से दर्ज हुआ है। का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा काश्त करने पर आमादा है। उक्त आशय की धमकी अप्रार्थी कम 3 लगायत 9 ने दिनांक 03.07.2014 को दी उसके बाद प्रार्थी को जानकारी में आया कि राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज कर दिया। सेटलमेंट पर्चालगान के मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी कम 3 लगायत 9 का पिता भंवरलाल जो प्रार्थी का भाई होता है बराबर–बराबर 1/4 हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है जिस पर किसी तरह का कोई विवाद आज तक नही हुआ। लेकिन भंवरलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान 3 लगायत 9 द्वारा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी को हडपना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाद्या प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी 1/4 में किसी भी प्रकार की मदालखेत ना तो स्वंय करें और नही अन्य व्यक्ति से करावें। विवादित आराजियात मद नं0 1 को किसी अन्य व्यक्ति को मूल वाद के निस्ताश्ण तक रहन बैचान नही करें। उपपंजीयक मांगरोल को पाबंद फरमावें कि वह विवादित आरजियात मद नं0 1 ग्राम मांगरोल का किसी भी तरह से पंजीयन ना करें एवं राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनायें रखें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 9 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तलब होने के पश्चात अप्रार्थी कम 1 की ओर से अधिवक्त श्री लिहाज हुसैन ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी कम 3 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामरतन गौचर ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मांग्याजी के एक पत्नि थी। मोत्या बाई जो इनकी विवाहित पत्नि थी। जिसको मांग्याजी हिन्दु रीति रिवाज

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

अनुसार सप्तपदीगमन होकर विवाह कर लाये थें जबकि धन्नी बाई उनकी रखेल थी। मांग्या की मृत्यु के बाद मोत्या बेवा भंवरलाल उर्फ भंवर्या के नाम 1/2 हिस्सा एवं धन्नी बाई एवं उसके लडके कर्मा, केसरा, मदना के नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया क्योकि धन्नीबाई उनकी विवाहिता पत्नि नही होने के कारण किसी प्रकार से सम्पत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी नं0 3 ता 9 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल की आराजी खसरा नं0 3273 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 3958 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 3959 रकबा 0.43 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 है0 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 को ताफैशला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें तथा अप्रार्थी नं0 3 ता 9 के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें और नही अपने प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 3 ता 9 की ओर से राजस्व रेकार्ड पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृटान्त पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उभयपक्ष का भी मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दओ को देखना होता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति

01. प्रथम दृष्टया मामलाः– उभयपक्ष ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो कि उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में लिखा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में विवादित आराजी का विवरण दिया है। तथा निवेदन किया है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी कम 3 ता 9 के गलत दर्ज है तथा उक्त से संबंधित वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक मूल वाद में निर्णय पारित नही हो जाता है जब तक अप्रार्थी कम 1 ता 9 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विवादित आराजी का रहन बैचान नही करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी जवाब बहस में बताया कि अप्रार्थी कम 1 ता 9 स्वयं रेकार्डेड खातेदार है। तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में निवेदन किया है कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 ता 9 पारित नही की जाती है तो अप्रार्थी कम 1 ता 9 उक्त विवादित आराजी को रहन बैचान व अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द कर सकता है। अप्रार्थी कम 1 ता 9 विवादित आराजी में रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। तथा अप्रार्थी कम 1 ता 9 का नाम विवादित आराजी से विलोपित किया जावेगा या नही यह मूल वाद में तय किया जावेंगा। न्यायालय धारा 212 आरटीएक्ट की बहस सुन रहा है। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात व राजस्व रेकार्ड देखने के बाद न्यायालय के मद में विवादित आराजीयात की भौतिक व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला कोटा (राज0)

Scanned with CamScanner

2. सुविधा का संतुलन– अप्रार्थी कम 1 ता 9 विवादित आराजीयात में रेकार्डेड खातेदार है। तथा विवादित आराजी को रहन, बैचान व खुर्द बुर्द कर देते है तो प्रार्थी को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अप्रार्थीगण ग्राम मांगरोल की आराजियात खसरा नं0 3273 का रकबा 0.04 है0, 3258 का रकबा 0.88 है0, 3259 का रकबा 0.43 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.35 है0 के राजस्व रेकार्ड के खातेदार है। उक्त विवादित आराजियाम में प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है या नही मूल वाद में निर्णित होगा परन्तु यदि प्रार्थीगण का हिस्सा उक्त विवादित आराजियात में बनता है और उससे मूर्व ही अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी की भौतिक व राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा उक्त विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व रहन बैचान नही करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण वास्ते चाहने अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner